

[@shahjahanpurpol](#)

प्रेस नोट – सराहनीय कार्य दिनांक 16.03.2023

सोशल मीडिया सेल ने दिखाई तत्परता,

सोशल मीडिया पर अवैध असलहा के साथ स्टेटस लगाकर रौब दिखाने वाली शिकायत का लिया

संज्ञान,

अभियुक्त को थाना जैतीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, अवैध असलहा बरामद ।

दिनांक 13.03.2023 को शाहजहाँपुर पुलिस के आधिकारिक ट्वीटर एकाउण्ट पर एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध असलहा के साथ स्टेटस पर लगाकर रौब दिखाने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त हुई थी ।

सोशल मीडिया में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा तत्काल शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया तथा जांच में युवक जैतीपुर थानाक्षेत्र का पाया गया ।

श्री एस0 आनन्द वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा तत्काल श्री संजीव कुमार वाजपेई अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के निर्देशन व श्री **बी0एस0 वीर कुमार** क्षेत्राधिकारी तिलहर जनपद शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करने हेतु थानाध्यक्ष जैतीपुर को कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक जैतीपुर श्री विकास कुमार के नेतृत्व में थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 16.03.2023 को द्वारा रौब दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर अवैध असलहा के साथ स्टेटस लगाने वाले युवक सतीश पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासी ग्राम शिकारपुर थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर को शिकारपुर तिराहे के पास सडक से गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 12 बोर नाजायज मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुये । जिसके सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पर मु0अ0स0 89/2023 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम **पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही** की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.सतीश पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासी ग्राम शिकारपुर थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1.मु0अ0स0, 0089/2023 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण

1.एक अदद देशी तमंचा 12 बोर नाजायज मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.प्रभारी निरीक्षक श्री विकास कुमार थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर

2.उ0नि0 श्री सुनील कुमार मौर्य थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर

3.का0 1813 ओमप्रकाश थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर